न्यायालय अपर जिला जज / वरिष्ठ न्यायालय द्वितीय गौतम बुद्ध नगर
विविध वाद सं० — 148 सन् 2021
गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार द्वितीय 26
18.11.21

न्यायालय जनपद न्यायाधीश
सिविल प्रतिलिपि विभाग
गौतम बुद्ध नगर

आवेदन देने की तिथि 18-11-21 अठारह नवम्बर सन २१
नोटिस तैयार करने की तिथि 18-11-21 अठारह नवम्बर सन २१
प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि 18-11-21 अठारह नवम्बर सन २१

18.11.21
मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद—न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर

2 टिकिट 10/- रुपये

मुख्य प्रतिलिपिक 18.11.21
जनपद, न्यायालय
गौतम बुद्धनगर

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, गौतमबुद्धनगर।

UPGB010136732021

विविध वाद संख्या– 148/2021
गुलाब सिंह वर्मा **बनाम** केन्द्रीय विहार द्वितीय।

दिनांक 17.11.2021

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजब सिंह एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र मोहन माथुर को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि प्रकीर्ण वाद स0 249/2020, लघुवाद स0 16/2014 केन्द्रीय विहार द्वितीय बनाम गुलाब सिंह वर्मा मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.02.2017 को अपास्त फरमाने हेतु दायर किया गया था। प्रकीर्ण वाद संख्या 249/2020 में दिनांक 15.09.2021 की तारीख निश्चित थी परन्तु प्रार्थी जो पिछले काफी अर्से से बीमारियों से पीड़ित रहा है। पुनः दिनांक 13.09.2021 को अत्यधिक बीमार हो गया और प्रार्थी का पुत्र मनीष कुमार वर्मा जो कि प्रार्थी की ओर से उपर्युक्त वाद में पैरोकारी करता था, वह प्रार्थी के बीमार होने के कारण प्रार्थी के साथ रहा और इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता को सूचित नहीं कर पाया। न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 249/2020 गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार दिनांक 15.09.2021 को प्रार्थी की अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। प्रार्थी दिनांक 13.09.2021 से 16.09.2021 तक अत्यधिक बीमार था, जिसके कारण प्रार्थी न्यायालय में नही आ पाया और न ही इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता को सूचति कर पाया। प्रार्थी का इलाज सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चल रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 249/2020 गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 को अपास्त कर मूल नम्बर पर कायम किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

विपक्षी केन्द्रीय विहार द्वितीय, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से प्रार्थना पर लिखित **जवाब** प्रस्तुत **किया गया** और कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों से प्रस्तुत किया गया है। प्रकीर्ण वाद संख्या–249/2020 गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्दीय विहार द्वितीय अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, लघुवाद संख्या–16/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.10.2020 को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकीर्ण वाद योजित किये जाते समय, प्रार्थी गुलाब सिंह वर्मा द्वारा कोई डिक्रीटल धनराशि जमा नहीं की गयी और उक्त धनराशि को अदा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए, फ्लैट नम्बर–140, ब्लॉक–1, चतुर्थ तल, फेज–3 केन्द्रीय विहार द्वितीय, सैक्टर–82 नोएडा, क्षेत्रफल 110.98 वर्ग मीटर के मूल विक्रय अभिलेख को बतौर जमानत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी गुलाब सिंह वर्मा की 'निश्चित समय अवधि की किरायेदारी' थी, जो कि पंजीकृत अनुबन्ध दिनांकित 21.03.2009 के द्वारा प्रारम्भ होकर आगामी 3 वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 20.03.2012 तक थी और किराये की अंकन धनराशि

जो कि पंजीकृत अनुबन्ध दिनांकित 21.03.2009 के द्वारा प्रारम्भ होकर आगामी 3 वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 20.03.2012 तक थी और किराये की अंकन धनराशि अंकन 12,100/- रू0 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ तय थी। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20.03.2012 को किरायेदार की समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी न तो प्रश्नगत दुकान को खाली किया गया, न समयानुसार किराया/हर्जा इस्तेमाल अदा किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को अत्यधिक बीमार होने और उसके पुत्र मनीष कुमार वर्मा के प्रार्थी के साथ होने के कारण अपने अधिवक्ता को सूचित न करने का असत्य आधार प्रकीर्ण वाद संख्या-249/2020 को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु लिया गया है, जबकि इससे पूर्व की तिथियों पर भी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वाद में कोई पैरवी नहीं की जा रही थी। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा निरतर वाद कार्यवाही स्थगित कराये जाने और हर्जा इस्तेमाल अदा न किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकीर्ण वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु रिट याचिका संख्या- 4130 सन् 2021 योजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2021 को आदेशित किया गया कि प्रकीर्ण वाद संख्या-249/2020 का निस्तारण उक्त आदेश की प्रतिलिपि दाखिल किये जाने की तिथि से 2 माह अंदर पूर्ण किया जावे। प्रार्थी/प्रतिवादी गुलाब सिंह वर्मा द्वारा दिनांक 13.09.2021 से दिनांक 16.09.2021 तक अत्यधिक बीमार होने और अपने पुत्र मनीष वर्मा के अपने साथ होने का मिथ्या कथन किया जा रहा है, जबकि दिनांक 13.09.2021 से दिनांक 16.09.2021 तक प्रश्नगत दुकान निरंतर खुलती रही है और उस पर उसका पुत्र कारोबार करता रहा है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.09.2021 से 16.09.2021 तक कथित बीमारी के सम्बन्ध मे कोई मेडिकल पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र असत्य कथनों पर आधारित है और न्यायिक प्रकिया का दुरुपयोग है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विविध वाद संख्या 249/2020 गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार द्वितीय प्रार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया था। जिसके द्वारा लघुवाद संख्या 16/2014, केन्द्रीय विहार द्वितीय बनाम गुलाब सिंह वर्मा मे पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 07.10.2020 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी थी। विविध वाद संख्या 249/2020 गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार द्वितीय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत दिनांक 28.07.2021, 12.08.2021 दिनांक 27.08.2021 एवं 13.09.2021 को प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी अधिवक्ता उपर्युक्त नियत दिनांक पर उपस्थित रहे। दिनांक 15.09.2021 को बार-बार पुकार कराये जाने पर प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में विविध वाद 249/2020 को निरस्त किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विविध वाद में विविध वाद संख्या 249/2020 गुलाब सिंह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार द्वितीय में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 को अपास्त कर विविध वाद संख्या 249/2020 को मूल नम्बर पर कायम किये जाने हेतु प्रार्थना इस आधार पर की गयी है कि दिनांक 13.09.2021 से 16.09.2021 तक प्रार्थी अत्यधिक बीमार था, जिसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका और न ही इसकी सूचना अपने अधिवक्ता को दे पाया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ

अपने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का दिनांक 18-01-2021 का ओ.पी.डी. पर्चा लगाया है जिस पर पुनः दिनांक 09-09-2021 को दिखाया गया है परंतु ऐसा कोई

मेडिकल दाखिल नहीं किया गया है, **जिससे यह स्पष्ट हो सके कि** प्रार्थी दिनांक 13.09.2021 से 16.09.2021 तक बीमार रहा ह।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

विविध वाद संख्या 148/2021, गुलाब सिह वर्मा बनाम केन्द्रीय विहार द्वितीय निरस्त किया जाता है।

(राजीव कुमार वत्स)
अपर जिला न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय
गौतमबुद्धनगर।
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 2701

न्यायालय जनपद, न्यायाधीश
सिविल
प्रतिलिप विभाग
बुद्ध नगर

फोटो सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय, गौतम बुद्धनगर